सदन की वित्तीय समितियां

भारत के संविधान के अन्तर्गत राज्य के खर्चे को चलाने के लिए राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित की गयी विधि के प्राधिकार के बिना राज्य सरकार न तो कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से आहरित कर सकती है और न कोई धन व्यय कर सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि विधान मण्डल की राजकीय कोष का एक मात्र स्वामी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 से 206 के अनुसार राज्य की संचित निधि से सरकारी खर्च के लिये प्रत्येक प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगों के रूप में विधान सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो वर्ष के बीच में भी अनुदानों की पूरक मांगों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो वर्ष के बीच में भी अनुदानों की पूरक मांगों के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कभी-कभी आवश्यकता एवं समयाभाव को देखते हुए सरकार विधान मण्डल से लेखानुदान भी स्वीकृत कराने का अनुरोध करती है। ऐसी धनराशियां निकालने और उन्हें खर्च करने के लिये जो मांगे विधान सभा में प्रस्तुत की जाती हैं उन पर चर्चा होती है और उसके उपरान्त उस पर विधान मण्डल की स्वीकृति प्रदान की जाती है। केवल लेखानुदान के माामले में ऐसी चर्चा करना आवश्यक नहीं होता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार संविधान के अनुच्देद 202 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखती है जिसमें राज्य की उस वर्ष की समस्त प्राप्तियां एवं व्यय का विवरण होता है।

विधान मण्डलों के बहुआयामी कार्य एवं सरकार के कार्य कलापों की जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य विधान मण्डल के लिये यह संभव नहीं है कि वह अपने द्वारा राज्य की संचित निधि को निकालने के लिए स्वीकृति धनराशि के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। इसलिए राज्य विधान मण्डलों ने वित्तीय समितियों का निर्णय किया है जिनमें से लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकम एवं निगम समिति तथा प्राक्कलन समिति मुख्य हैं। केन्द्र में उक्त समितियों के अतिरिक्त रेल अभिसमय समिति का भी गठन होता रहता है और वह भी वित्तीय समिति की श्रेणी में आती है। विगत वर्षों में संसद ने स्थायी समितियों का भी निर्माण किया है जो संसद में केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत कर दिये जाने उपरान्त मंत्रालयवार अनुदान की मांगों पर सविस्तार विचार करती है और उन पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करती हैं। इसके फलस्वरूप संसद में होने वाले विचार-विमर्श एवं चर्चा की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। ऐसी समितियां भी वित्तीय समितियों की ही श्रेणी में आती है। परन्तु उनकी कार्य अवधि संसद में बजट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त एक निश्चित समयावधि तक के लिये ही होती है। कतिपय राज्य विधान मण्डलों में भी ऐसी समितियों का गठन हुआ है परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में ऐसी समितियों का गठन नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल की वित्तीय समितियां एवं उनके कार्यकलाप का विवरण निम्नलिखित है :-

लोक लेखा समिति

समिति का गठन–

(1) राज्य के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण या ऐसे अन्य लेखों या वित्तीय विषयों की जो उसके सामने रखे जायं या उसको निर्दिष्ट किए जायं या समिति जिनकी जांच करना आवश्यक समझे, जांच करने के लिए एक लोक लेखा समिति होती है।

(2) लोक लेखा समिति में'' 7 से अनधिक सदस्य होते हैं जो प्रत्येक वर्ष सदन द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाने का प्राविधान है।

कोई मंत्री इस समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जाते हैं और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रह जाते हैं।

(3) समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से निवार्चित किया जाता है और सुस्थापित परम्परानुसार सभापति प्रतिपक्ष के सदस्यों में से निर्वाचित होता है।

समिति के कृत्य

(1) राज्य के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपना समाधान कर ले कि–

(क) जो धन लेखे में से व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है वह उस सेवा या प्रयोजन के लिये विधिवत् उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसमें वह लगाया या भारित किया गया है,

(ख) व्यय प्राधिकार के अनुरूप हैं, जिसके वह अधीन हैं, और

(ग) प्रत्येक पुनर्विनियोग ऐसे नियमों के अनुसार किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये हो।

(2) लोक लेखा समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं :-

(क) राज्य व्यापार तथा निर्माण योजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों को संतुलन पत्रों को और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करें जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो, जो

किसी विशेष राज्य व्यापार-संस्था या परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हो, और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करें,

(ख) स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरण की जांच करें, जिसकी लेखा परीक्षाा भरत के नियंत्रक -लेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के निदेशों के अन्तर्गत या किसी संविधि के अनुसार की जा सके, और

(ग) उन मामलों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, के प्रतिवेदन पर विचार करे जिनके संबंध में राज्यपाल ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भण्डार के और स्कन्धों के लेखो की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो।

(3) ऐसे समस्त कृत्य जो राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से संबंधित हो, लोक लेखा समिति के अधिकार क्षेत्र व कृत्यों के बाहर होते हैं।

प्राक्कलन समिति

समिति का गठन

(1) ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिए जो समिति को ठीक प्रतीत हो या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें, एक प्राक्कलन समिति होगी।

(2) समिति में 7 से अनधिक सदस्य होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेगें।

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेगें और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेगें।

समिति के कृत्य

(1) समिति के कृत्य ये होंगे -

(क) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदित करना,

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना,

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना, तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सभा में उपस्थित किये जायेगें, इसका सुझाव देना।

(2) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष के भीतर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए, सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिए यह अनिवार्य न होगा कि किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदित नहीं दिया है अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति

समिति के कृत्य- द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों के कार्य संचालन की जांच करने के लिए उत्तराखण्ड विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एंव निगम समिति होगी। इस समिति के निम्नांकित कृत्य होंगे :-

(क) उपरोक्त सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा संतुलन-पत्रों और लाभ एवं हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष सार्वजनिक उपक्रम या निगम के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों और उन पर महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना।

(ख) उपरोक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए उनकी दक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धान्तों तथा व्यापारिक कार्य प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है

(ग) उपरोक्त उपक्रमों एवं निगमों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्य जो अन्यथा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्य क्षेत्र में आते हों, और जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय-समय पर निर्दिष्ट करें :-

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि समिति निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगी :-

(1) शासन की नीति के प्रमुख मामले जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों,

(2) दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलें,

(3) ऐसे मामलें जो संबंधित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की स्थापना करने वाले अधिनियम द्वारा किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जाने हों।

<u>समिति का गठन</u> - समिति में सभापति को शामिल करते हुए 7 सदस्य होंगे, जो प्रत्येक वर्ष सदन के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होगें :-

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होगें और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से उनकी समिति की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

<u>समिति के सभापति की नियुक्ति-</u> समिति के सभापति की नियुक्ति विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

<u>समिति का प्रतिवेदन-</u> समिति विधान मण्डल के दोनो सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के संबंध में प्रतिवेदन देगी।

<u>सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के अधिकार क्षेत्र का विनिश्चय-</u> यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय सार्वजनिक उपक्रम एंव निगम समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं, तो यह मामला, अध्यक्ष विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

सदन की गैर वित्तीय संसदीय समितियां

संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अधीन विधान मण्डल के प्रति मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व और कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 208 के अन्तर्गत बनायी गई उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 में विभिन्न स्थायी प्रकृति की गैर वित्तीय समितियों का गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 188 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तदर्थ समितियों का भी गठन किये जाने का प्रावधान है। वास्तव में संसदीय समितियां सदन की आंख एवं कान का काम करती हैं और उन्हीं के माध्यम से सदन सत्र में न रहते हुए भी अहर्निश कार्य करता रहता है। प्रक्रिया नियमावली में जिन स्थायी प्रकृति की समितियों के गठन का प्रावधान है उनका तथा उनके कृत्यों आदि का विवरण नीचे अंकित हैं :-

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी समिति
2. प्रतिनिहित विधायन समिति
3. कार्य मंत्रणा समिति
4. विशेषाधिकार समिति
5. सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
6. याचिका समिति
7. नियम समिति
8. आवास संबंधी समिति
9. उत्तराखण्ड विधान पुस्तकालय समिति
10. प्रश्न एवं संदर्भ समिति

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति

इस समिति का गठन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों के कल्याण तथा उत्थान हेतु सरकारी नीतियों तथा आदेशों के कार्यान्वयन की जांच हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1974 को स्वीकृत संकल्प, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी बैठक

7 सदस्यीय एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रश्न

दिनांक 14 अगस्त, 1974 में सहमति प्रदान की थी, के अनुसार की गयी। इसमें 7 सदस्यीय एकल मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार निर्वाचित होते हैं। इस समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं होता।

समिति संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा उक्त जातियों के हेतु प्रदत्त सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करती है और इन वर्गों की दशा को कम से कम समय में सुधारने के लिए तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के उद्देश्यों को पूर्ण कराने हेतु सुझाव देती है। समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

समिति का कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष होता है, अन्य विषयों में समितियों से सम्बन्धित उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जांय।

<u>प्रतिनिहित विधायन समिति</u>

प्रतिनिहित विधायन समिति में माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट 7 सदस्य होते हैं। समिति का मुख्य कार्य संविधान तथा अन्य विधियों में राज्य सरकार एवं अन्य प्राधिकारियों को प्रदत्त विधायनी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए, अधीनस्थ विधायनों की जांच करना है कि वह संविधान अथवा उस अधिनियम के साधारण उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है। समिति यह भी देखती है कि किसी ऐसे विषय पर अधीनस्थ विधान तो नहीं बनाया जा रहा है जिसे समुचित ढंग से क्रियान्वित किए जाने के लियें उसके संबंध में विधान मण्डल का कोई अधिनियम होना चाहिए और अधीनस्थ विधान के द्वारा कोई करारोपण तो नहीं किया जा रहा है। किसी अधीनस्थ विधान में राज्य की संचित निधि से कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त है, तो समिति उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करती है। समिति यह भी देखती है कि विचारणीय प्रतिनिहित विधायन में कोई गतापेक्षक प्रभाव तो नहीं है, विधानों के निर्माण हेतु प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग तो नहीं किया गया है, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाधा तो नहीं है तथा उसके प्रकाशन अथवा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने में अनुचित विलम्ब तो नहीं हुआ है। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। यदि कोई सदस्य बाद में मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रह जाता है। समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष है। अपनी सिफारिश करने से पूर्व समिति प्रायः सम्बन्धित विभागों के सचिव से स्पष्टीकरण मांगती है और उनका साक्ष्य लेती है।

उक्त समिति के निर्माण, कृत्यों तथा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 लगायत 240 में उल्लेख किया गया है।

कार्य मंत्रणा समिति

कार्य मंत्रणा समिति में माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या 7 होती है। माननीय अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति तथा माननीय उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। समिति के सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाते हैं। समिति की पदावधि एक वित्तीय वर्ष की है।

सदन में लिए जाने वाले विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या उपक्रमों पर चर्चा के लिए समय नियत करने हेतु कार्य मंत्रणा समिति सिफारिश करती है।

यह समिति सदन के कार्य से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्य भी सम्पादित करती है जिन्हें अध्यक्ष समय-समय पर निर्दिष्ट करें। उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिश साधारणतया सदस्यों को पत्र द्वारा उस दिन से कम से कम एक दिन पूर्व दी जाती है जिस दिन अध्यक्ष उक्त सिफारिश सदन में प्रतिवेदित करते हैं। सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा समिति के किसी नाम-निर्दिष्ट सदस्य द्वारा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने का प्रस्ताव सदन में किया जाता है जिसके स्वीकार हो जाने पर उक्त सिफारिश में उल्लिखित कार्यों की समय सूची उसी प्रकार प्रभावी होती है जैसे कि वे सदन के आदेश हों।

विशेषाधिकार समिति

इस समिति में अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट 7 सदस्य होते हैं जिनमें उपाध्यक्ष, विधान सभा भी सम्मिलित है और 3 सदस्यों से इस समिति की गणपूर्ति होती है किन्तु साक्ष्य लेने के प्रयोजनार्थ उपवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होते हैं। यह समिति सदन के विशेषाधिकार के मामलों के बारे में परामर्श देने के लिए होती है। कभी-कभी अध्यक्ष ऐसे मामलों को भी जो विशेषाधिकार की अवहेलना के माामले नहीं होते हैं वरन् सदन, उसकी समितियों या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्तियों और शक्तियों से संबंधित होते हैं, परामर्श हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर देते हैं।

समिति के गठन, गणपूर्ति तथा उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया आदि के संबंध में सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 255 लगायत 261 में उल्लेख किया गया है।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समित

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति में माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 7 से अनधिक सदस्य होते हैं और समिति का सभापति इसके सदस्यों में से माननीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है किन्तु विधान सभा की उक्त समिति का सभापति परम्परानुसार विरोधी दल का सदस्य होता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष है।

इस समिति का कार्य है कि वह मंत्रियों द्वारा समय-समय पर विधान सभा में दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं की जांच करे और इस संबंध में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे कि ऐसे आश्वासनों आदि को कहां तक सरकार ने पूरा किया है, उनका कार्यान्वयन कहां तक किया गया है और क्या उक्त कार्यान्वयन उस कार्य के लिए न्यूनतम समय में किया गया है।

मंत्रियों के किन कथनों को आश्वासन माना जायेगा, इसका प्रलेख उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के अध्याय-8 में किया गया है।

याचिका समिति

वर्तमान नियमों में अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित 7 सदस्यों की याचिका समिति के गठन किये जाने का प्रावधान है। समिति में कोई मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। समिति का सभापति उसके सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किन्तु यदि उपाध्यक्ष उसके सदस्य हो तो वे समिति के पदेन सभापति होते हैं।

याचिका समिति सदन में उपस्थापित याचिकाओं और अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार अध्यक्ष तथा सचिव, विधान सभा को सम्बोधित और लोक सभा सचिवालय द्वारा इस सचिवालय को भेजे गये अभ्यावेदन प्रार्थना-पत्र, तार आदि पर विचार करती है और उनके संबंध में सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

समिति के गठन, याचिकाओं की व्याप्ति, उसके सामान्य प्रपत्र तथा उपस्थापन की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत उल्लेख प्रक्रिया नियमावली के नियम 228 लगायत 236 में किया गया है।

<u>नियम समिति</u>

नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होते हैं। समिति की सिफारिशें सदन के पटल पर रखी जाती हैं और इस प्रकार पटल पर रखे जाने के दिन से प्रारम्भ होकर 5 दिन की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकता है। यदि समिति की सिफारिशों में संशोधन की कोई सूचना प्राप्त न हो तो उक्त 5 दिन की कालावधि की समाप्ति पर समिति की सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकृत समझी जाती हैं और नियमों में सम्मिलित कर ली जाती हैं। यदि समिति की सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य की जाय तो ऐसी सूचना समिति को निर्दिष्ट कर दी जाती है और समिति ऐसे संशोधनों पर विचार करके अपनी सिफारिशों में ऐसा प्रावधान कर सकती हैं जो वह उचित समझें। समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदन के पटल पर 3 दिन तक रखा जाता है और यदि इस कालावधि के भीतर समिति द्वारा पुनर्विचारोपरान्त किये गये निर्णयों में किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य की जाय तो ऐसे संशोधनों को सदन के विचारार्थ रखा जाता है अन्यथा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत समझ लिया जाता है और प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें नियमावली में सम्मिलित कर ली जाती हैं।

नियम समिति के गठन, कृत्यों आदि के संबंध में सहज की प्रक्रिया नियमावली के नियम 241 लगायत 245 अवलोकनीय हैं।

<u>आवास सम्बन्धी समिति</u>

इस समिति में 7 सदस्य होते हैं, समिति अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित होती है।

<u>समिति के कृत्य-</u> उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं :-

(1) विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास प्रबन्ध सम्बन्धी सभी विषयों पर कार्यवाही करना।

(2) विधायकों के निवास स्थानों पर अथवा अन्य स्थानों पर जहां विधान मण्डल की समितियों के उपवेशन किये जायें, आवास सम्बन्धी अन्य सुविधायें, जो सदस्यों को प्राप्त हो, उनकी देखभाल करना। इस समिति का कार्य परामर्श देना है। समिति की सिफारिशें अध्यक्ष विधान सभा को प्रस्तुत की जाती हैं। अध्यक्ष उन्हें शासन से सम्बन्धित विभाग को अपने विचार प्रकट करने हेतु भेजते हैं। शासन के सम्बन्धित विभाग के विचार प्राप्त होने पर अध्यक्ष

सिफारिशों पर सभापति, से परामर्श करके ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वे उचित समझें अन्तिम आदेश देते हैं। परन्तु अध्यक्ष यदि चाहें, तो सिफारिशों को उन अभियुक्तों के साथ जिन्हें वे आवश्यक समझे, पुनः विचार के लिये समिति को वापस भेज सकता है।

परन्तु यदि किसी सिफारिश में अतिरिक्त व्यय अर्न्तग्रस्त हो तो अध्यक्ष, सम्बन्धित मंत्री से भी परामर्श करने के बाद उस पर अन्तिम आदेश देंगे। समिति का कार्यालय तथा इसका संचालन आदि समस्त कार्य विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

अन्य विषयों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय 16 में दिये गये समितियों की प्रक्रिया के सामान्य नियम इस समिति पर उन अनुकूलनों एवं परिष्कारों के साथ लागू होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक तथा सुविधाजनक समझें।

उत्तराखण्ड विधान पुस्तकालय समिति

विधान पुस्तकालय समिति में विधान सभा के 7 सदस्य होते हैं। मा0 उपाध्यक्ष, विधान सभा समिति के पदेन सभापति होते हैं। विधान सभा के मा0 अध्यक्ष समिति के सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हैं।

समिति के कृत्य निम्नवत् हैं :-

(क) पुस्तकालय के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विषयों पर विचार करना और परामर्श देना,

(ख) पुस्तकालय की उन्नति के सम्बन्ध में विचार करना और सुझाव देना तथा

(ग) पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के पूर्ण उपयोग में विधान सभा के सदस्यों की सहायता करना।

कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को, लिखित त्याग-पत्र द्वारा, जो समिति को सम्बोधित होगा, त्याग सकेगा।

यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों में सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहेगा तो मा0 अध्यक्ष उसे समिति की सदस्यता से हटा सकेंगे;

विधान सभा का उपवेशन जब हो रहा हो उस समय में भी समिति की बैठकें हो सकेगी, परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति की कार्यवाही को ऐसे समय तक के लिए सभापति निलम्बित करेगें जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

सामान्य रूप से उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय 16 में वर्णित विधान मण्डलीय समितियों पर लागू सामान्य नियम ऐसे अनुकूलनों, संशोधनों, परिवर्धनों अथवा लोपनों के साथ, जिन्हें मा0 अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें, इस समिति पर भी लागू होते हैं।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 264 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में प्रश्न एवं संदर्भ समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित 7 से अनधिक सदस्य इस समिति में होते हैं और माननीय उपाध्यक्ष, इस समिति के पदेन सभापति होते हैं। समिति की कलावधि एक वित्तीय वर्ष हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है।

समिति का उपवेशन गठित करने हेतु न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। समिति के कृत्य निम्नलिखित हैं :-

(क) यदि किसी प्रश्न का उत्तर शासन से समय से प्राप्त न हो अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न हो और माननीय अध्यक्ष ऐसा करना समीचीन समझें, तो वह उस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर सकते हैं।

(ख) प्रश्नों के अतिरिक्त सदन से संबंधित अन्य कोई मामला, जो नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त समिति को विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है।

समिति के गठन तथा कृत्य उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–264 तथा 265 में अवलोकनीय हैं।

तदर्थ समितियां

उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त तदर्थ समितियां भी एक निश्चित कार्य करने हेतु बनाई जाती है और ये समितियां उन्हें सौंपे गये कार्य समाप्त होने पर और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाती हैं। विधेयकों के संबंध में गठित की जाने वाली प्रवर समिति इसका उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी विशिष्ट मामलों पर विचार एवं सूक्ष्म जांच करने तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा अपने अधिकारों से अथवा सदन के प्रस्ताव द्वारा भी तदर्थ समितियों का गठन किया जा सकता है।

संसदीय एवं तदर्थ समितियों के अतिरिक्त मंत्रियों को परामर्श देने हेतु 30 स्थायी समितियों का भी गठन किया जाता है जिनका नाम निम्नवत् है :-

(1) समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास

(2) सामान्य प्रशासन

(3) लोक निर्माण

(4) सिंचाई

(5) ऊर्जा

(6) विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

(7) श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण

(8) वन एवं पर्यावरण

(9) राजस्व एवं भू-प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास

(10) पेयजल

(11) कृषि एवं विपणन

(12) आबकारी

(13) न्याय, विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा

(14) चिकित्सा

(15) उद्यान एवं रेशम

(16) सूचना

(17) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(18) गृह

(19) परिवहन एवं नागरिक उड्डयन

(20) औद्योगिक विकास एवं सार्वजनिक उद्यम

(21) नियोजन

(22) सहकारिता

(23) पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण

(24) शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

(25) व्यापार कर एवं मनोरंजन कर

(26) संस्कृति एवं पर्यटन

(27) युवा कल्याण एवं खेल

(28) ग्राम्य विकास एवं जलागमन प्रबन्धन

(29) गन्ना विकास चीनी उद्योग

(30) पशुपालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध विकास

(31) कार्मिक

(32) राज्य सम्पत्ति

(33) सूचना प्रौद्योगिकी

(34) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(35) पुनर्गठन

उपरोक्त समितियों का विस्तृत उल्लेख प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के अध्याय 8 में किया गया है।